

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पूरठा सिंह	मुख्य प्रशासिक आधी कार्य	मुख्य अभियन्ता स्तर-1 क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण वि० पोडी	देहरादून/ मृगशिकेश	मुख्य अभियन्ता स्तर-1 क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण वि० पोडी	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पांच) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छ) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्राथमिक मुख्य अभियन्ता स्तर-1 क्षेत्रीय कार्यालय पोडी पुरम में ही रखे का इच्छा है।

नोट- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।


हस्ताक्षर (कार्मिक) *YS* 7.5.26
 नाम- पूरठा सिंह
 पदनाम- मुख्य प्रशासिक आधी कार्य

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)
 नाम- *J. Guleria*
 पदनाम- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, पोडी।
YS 7.5.26


अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नरिण माउण्ट	मुख्य प्रशासनिक कार्मिकारी	सेनाय कार्यालय, लो०नि०वि०, देहराडून	पीडी	1. सेनाय कार्यालय, लो०नि०वि०, पीडी	<input checked="" type="checkbox"/> धारा के नाम के आगे ✓ लगाये <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पांच) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छः) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्रशासनिक स्तर के अन्तर्गत विभागीय प्रशासनिक कार्यालय के कार्यालय सुगम स्थान से दूर स्थानों का अनुरोध है।

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)  14.5.2016

नाम- नरिण माउण्ट
पदनाम- मुख्य प्रशासनिक कार्मिकारी


हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) 

नाम- डॉ० राजीव सिंह
पदनाम- मुख्य अभियन्ता
लो०का० लो०नि०वि० दे०दून


अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप - 2

क्र०सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भूपेन्द्र सिंह बिष्ट मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो०नि०वि० देहरादून	अल्मोडा अल्मोडा	मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लो०नि०वि० हल्द्वानी।	धारा के नाम के आगे <input checked="" type="checkbox"/> लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्रार्थी सी०ओ०पी०डी० (फेफड़ों) के गम्भीर रोग से अत्यधिक पीड़ित है जिसका उपचार पूर्व से हल्द्वानी स्थिति चिकित्सालय में निरन्तर चल रहा है।
					<input checked="" type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (एक)	मण्डलीय चिकित्सा परिषद, नैनीताल से प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न।	
					<input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (दो)		
					<input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
					<input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (चार)		
					<input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (पांच)		
					<input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (छः)		
					<input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (सात)		

नोट :- कालम सं० 07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर - 
नाम - भूपेन्द्र सिंह बिष्ट
पदनाम - मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)
नाम -
पदनाम -


15/5/2026.
वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
ला० जि० वि०, देहरादून

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरिष्ठता क्रम	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आनन्द प्रकाश	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा	अल्मोड़ा		धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	महोदय, मुझे निम्न विवरणानुसार दुर्गम से सुगम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय:- 1. मैं दुर्गम से दुर्गम मुख्य अभियन्ता कार्यालय, लो०नि०वि० अल्मोड़ा में ही कार्य करने को इच्छुक हूँ एवं मुझे लगभग 1 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होना है। 2. मैं एक वरिष्ठ कार्मिक हूँ, अतः मुझे स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17 ख (5) के प्राविधान के अनुसार दुर्गम से सुगम कार्यालय हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय।
						<input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक)		
						<input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो)		
						<input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						<input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार)		
						<input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पाँच)		
						<input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छः)		
						<input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात)		
						<input checked="" type="checkbox"/> धारा 17 (ख) (पाँच)		

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- आनन्द प्रकाश

पदनाम- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- डी०एस० ह्यांकी,

पदनाम- मुख्य अभियन्ता